बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक:- 178549 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 24.02.14

ग्रा०वि० - 5/सा.आ.जन.-116/2011

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय:- **नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को Laptop आपूर्ति करने के संबंध में ।**

प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 1472 दिनांक 27.12.13 ।
विभागीय पत्रांक 63930 दिनांक 23.09.13 एवं 168202 दिनांक 01.11.13 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के विषयांकित पत्रांक 1472 दिनांक 27.12.13 द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को 60,000/- रूपये तक की अधिकतम राशि के अधीन लैपटॉप क्रय करने का प्रावधान संसूचित किया गया है ।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा भी नवनियुक्त ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की भांति सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार लेपटॉप क्रय करने का निर्णय लिया गया है । संबंधित उप विकास आयुक्त, इंदिरा आवास योजना की प्रशासनिक व्यय मद की राशि से ग्रामीण विकास पदाधिकारी द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में उल्लिखित शर्तों को पूरा करने के उपरांत लैपटॉप क्रय हेतु व्यय की गई राशि का भुगतान करेंगे ।

पत्र के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-1472 दिनांक 27.12.13 संलग्न की जा रही है ।

ग्रामीण विकास पदाधिकारियों को विभागीय पत्रांक 163930 दिनांक 23.09.13 एवं 168202 दिनांक 01.11.13 द्वारा बेल्ट्रॉन को लेपटॉप क्रय कर उपलब्ध कराने हेतु दिये गये आदेश को निरस्त किया जाता है ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निदेश के आलोक में ग्रामीण विकास पदाधिकारियों द्वारा लैपटॉप क्रय पर हुये व्यय की राशि का साक्ष्य उपलब्ध कराने पर भुगतान करते हुए विभाग को भी प्रतिवेदित किया जाय । लैपटॉप के मूल्य का भुगतान संबंधित पदाधिकारी के परीक्ष्यमान अवधि में पदस्थापन के जिले द्वारा किया जायेगा ।

विश्वासभाजन

अनुलग्नक - यथोक्त ।

21.2.14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 178549 ग्रा०वि०, पटना, दिनांक:- 24.02.14

प्रतिलिपि- प्रबंध निदेशक, बेल्ट्रॉन, शास्त्रीनगर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.2.14

प्रधान सचिव

21/2/13